



कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

क्र. जे.पी.डी./अध्यक्ष एवं प्र. निदेशक/अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 646 दि. 24.8.18


आदेश

विषय:- " आर.ई.ओ.-279 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश बाबत"।

आदेश आर.ई.ओ.- 279 दिनांक 18.06.18 के अनुसार कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 5.2 में यह प्रावधान है कि "11 के.वी.फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किये जायेंगे"।

अतः इस संबन्ध में निर्णय लेकर किसानों की समस्या के समाधान हेतु व वर्ष 2018-19 में लक्षित 200000 कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 5.2 के निहित प्रावधान में शिथिलता प्रदान कर यह प्रावधान किया जाता है कि 11 के.वी. फीडर पर सुधार करने के उपरान्त व सुधार के दौरान यदि फीडर का वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक है तो भी कृषि कनेक्शन जारी करने में किसी प्रकार की बाधता नहीं है।

उक्त आदेश तीनों विद्युत कम्पनियों पर लागू होंगे।


(आर.जी. मुस्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर/जोधपुर।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. समन्वयक मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भारतपुर/कोटा), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/भारतपुर/कोटा।
5. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम/एम एम/मुख्यालय/एम एण्ड पी एण्ड आई टी/क्यू सी एण्ड सोफ्टी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवसा/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर डिस्कॉम,.....
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
8. प्रावधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, (रागबाग सर्किल), जयपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी (), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिड-सेज), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
14. निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
15. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जो-1) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।


Office of the Addl. CE (M & P-IT)
JVVNL, JAIPUR

SE(IT)/SE(M&P), JAIPUR/KOTA/
BHARATPUR/AMER/ISS/AO(IT)

R.R. No. 1006 Date 27/8/18

A.C.E (M&P-IT)

Office of the Addl. CE (M & P-IT), Jaipur
JVVNL, JAIPUR
R.R. No. 1006
Date 27/8/18
A.C.E (M&P-IT)


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर